

संख्या.12024/16/2011-रा.भा./का-2)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक: मई, 2012

**कार्यालय जापन**

**विषय:-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।**

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में 10 से 50 तक के सदस्य कार्यालयों वाली समिति को रूपए 3000/- प्रति बैठक (रु0 6000/- वार्षिक), 51 से 100 सदस्यों वाली समितियों को रूपए 5000/- प्रति बैठक (रु0 10,000/- वार्षिक) और 101 से अधिक सदस्य संख्या वाली समिति को रूपए 6000/- प्रति बैठक (रु0 12,000/- वार्षिक) करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन समितियों की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन होने पर इसकी सूचना राजभाषा विभाग को दी जाए ताकि तदनुसार उनकी प्रतिपूर्ति की राशि में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकें। वर्तमान में गठित समितियों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर बैठक पर व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी:-

**(1) निम्नलिखित 163 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपए 6000/- प्रतिवर्ष (रूपए 3000/- प्रति बैठक)**

1.	दुलियाजान	36.	तिरुवल्ला	71.	अनुगोल	106.	भरुच	141.	नेपानगर
2.	बोंगाईगाँव	37.	कायमकुलम	72.	पाराद्वीप	107.	जागीरोड-मोरीगाँव	142.	भिलाई
3.	कोहिमा	38.	वडगरा	73.	केन्दुझर	108.	देवास	143.	जगदलपुर
4.	डिगबोई	39.	कावरत्ती	74.	अंबाला	109.	नीमच	144.	अम्बिकापुर
5.	नलबाडी	40.	ईरोड	75.	कुरुक्षेत्र	110.	बालाघाट	145.	बहरोड
6.	नगाँव	41.	तिरूनलवेली	76.	डलहौजी	111.	छत्तरपुर	146.	अजमेर
7.	तेजपुर	42.	कारैकुडी	77.	धर्मशाला	112.	सतना	147.	आबू पर्वत
8.	नाजिरा	43.	कडलूर	78.	भटिण्डा	113.	होशंगाबाद	148.	भरतपुर

9.	धुबडी	44.	तंजावुर	79.	मण्डी	114.	रायसेन	149.	विजयपुर- जिला गुना
10.	जोरहाट	45.	करैककाल	80.	रेवाडी	115.	पिपरिया	150.	हनुमानगढ
11.	भद्रावती	46.	विरुदुनगर	81.	रोहतक	116.	शाजापुर	151.	मुजफ्फरन
12.	बागलकोट	47.	विल्लुपुरम	82.	हिसार	117.	सीहोर	152.	सहारनपुर
13.	बेल्लारी	48.	बर्नपुर- आसनसोल	83.	लेह-लदाख	118.	झाबुआ	153.	शाहजहाँपुर
14.	बिजापुर	49.	शांतिनिकेतन	84.	अमरावती	119.	धार	154.	बुलंदशहर
15.	दावणगेरे	50.	बहरमपुर	85.	चन्द्रपुर	120.	छिन्दवाडा	155.	अलीगढ
16.	गुलबर्गा	51.	मालदा	86.	भंडारा	121.	इटारसी	156.	मुरादाबाद
17.	हासन	52.	हल्दिया	87.	सोलापुर	122.	राजनांदगांव	157.	रामपुर
18.	कोलार	53.	बर्धमान	88.	सतारा	123.	बिलासपुर	158.	रायबरेली
19.	कारवार	54.	दुर्गापुर	89.	अहमदनगर	124.	श्रीगंगानगर	159.	शक्तिनगर
20.	मडिकेरी	55.	खडगपुर	90.	जलगांव	125.	अलवर	160.	हल्द्वानी
21.	मण्डया	56.	कलिम्पोंग	91.	भुसावल	126.	आबू रोड	161.	टिहरी
22.	पुत्तूर	57.	फरक्का	92.	रत्नागिरी	127.	बीकानेर	162.	हरिद्वार
23.	अन्नतपुर	58.	जलपाईगुडी	93.	बडोदरा	128.	जैसलमेर	163.	मडगांव
24.	आदिलाबाद	59.	दार्जिलिंग	94.	सूरत	129.	भीलवाडा	164.	
25.	एलूरू	60.	कटिहार	95.	राजकोट	130.	रतलाम	165.	
26.	गुन्तकल	61.	भागलपुर	96.	वलसाड	131.	शिवपुरी	166.	
27.	कर्नूल	62.	बरौनी- बेगूसराय	97.	वेरावल	132.	रीवा	167.	
28.	खम्मम	63.	गया	98.	गांधीधाम	133.	मेहसाणा	168.	
29.	नेल्लूर	64.	दरभंगा	99.	गोधरा	134.	खण्डवा	169.	
30.	निजामाबाद	65.	धनबाद	100.	भुज	135.	पंचमढी	170.	
31.	तिरुपति	66.	बोकारो	101.	भावनगर	136.	बुरहानपुर	171.	
32.	वारंगल	67.	हजारीबाग	102.	दाहोद	137.	विदिशा	172.	
33.	मेहबूबनगर	68.	भुवनेश्वर- प्रथम	103.	परभणी	138.	मण्डीद्वीप	173.	
34.	कासरगोड	69.	भुवनेश्वर- द्वितीय	104.	नांदेड	139.	खरगोन	174.	
35.	पय्यनूर	70.	सम्बलपुर	105.	वर्धा	140.	उज्जैन	175.	

(2) निम्नलिखित 78 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपर 10000/- प्रतिवर्ष ( रूपर 5000/- प्रति बैठक ):-

1.	गन्तोक	17.	कोल्लम	33.	उटटी-कूनूर	49.	करनाल	65.	कोल्हापुर
2.	आईजोल	18.	आलप्पुषा	34.	नागरकोविल	50.	गुडगाँव	66.	नासिक
3.	शिलचर	19.	कोट्टयम	35.	वेल्लूर	51.	जालंधर	67.	अकोला
4.	दिमापुर	20.	तृशूर	36.	सिलीगुडी	52.	दिल्ली(दक्षिण)	68.	जामनगर
5.	ईटानगर	21.	पालक्काड	37.	पटना	53.	पटियाला	69.	सिलवासा
6.	डिबुगढ	22.	कालिकट	38.	मुजफ्फरपुर	54.	पानीपत	70.	दमण
7.	मणिपुर	23.	कण्णूर	39.	राँची	55.	फरीदाबाद	71.	गोवा- दाक्षिण
8.	बेलगाम	24.	सेलम	40.	जमशेदपुर	56.	लुधियाणा	72.	गोवा- उत्तर
9.	हुबली	25.	तिरुच्चिराप्पल्ली	41.	सुनाबेडा	57.	सोनीपत	73.	दीव
10.	मैसूर	26.	मदुरै	42.	पुरी	58.	मुंबई	74.	गाँधीनगर
11.	मंगलूर	27.	कोयंबतूर	43.	राउरकेला	59.	नवी मुंबई	75.	कोटा
12.	गुण्टूर	28.	पुदुच्चेरी	44.	पोर्ट-ब्लेयर	60.	मुंबई-उत्तर	76.	इन्दौर
13.	विजयवाडा	29.	तूतीकोरिन	45.	अमृतसर	61.	औरंगाबाद	77.	ग्वालियर
14.	सागर	30.	उदयपुर	46.	मेरठ	62.	गोरखपुर	78.	रायचूर
15.	रायपुर	31.	गाजियाबाद	47.	आगरा	63.	झांसी		
16.	जोधपुर	32.	नोएडा	48.	मथुरा	64.	इज्जतनगर- बरेली		

(3) निम्नलिखित 26 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपर 12000/- प्रतिवर्ष ( रूपर 6000/- प्रति बैठक ):-

1.	गुवाहाटी	8.	कोच्चिन	15.	शिमला	22.	इलाहाबाद	29.	
2.	शिलांग	9.	चेन्नै	16.	पुणे	23.	कानपुर	30.	
3.	अगरतला	10.	कोलकात्ता	17.	अहमदाबाद	24.	वाराणसी	31.	
4.	बैंगलूर	11.	कटक	18.	भोपाल	25.	देहरादून	32.	
5.	हैदराबाद	12.	चंडीगढ	19.	जयपुर	26.	नागपुर	33.	
6.	विशाखापट्टणम	13.	जम्मू	20.	जबलपुर	27.		34.	
7.	तिरुवनन्तपुरम	14.	दिल्ली(मध्य)	21.	लखनऊ	28.		35.	

2, यह स्वीकृति गृह मंत्रालय (वित्त-॥ शाखा) की सहमति से उनकी दिनांक 23-01-2012 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या-सी.एफ.113931/ए.एस एण्ड एफ ए (एच) के अंतर्गत जारी की जा रही है।

आपका,

( जय प्रकाश कर्दम )  
निदेशक (कार्यान्वयन)

**प्रतिलिपि:-**

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हट्मेट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. वित्त-॥ शाखा, गृह मंत्रालय।
3. लेखा-। अनुभाग, गृह मंत्रालय।
4. वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय।
5. राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)